अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2022/50	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

लक्ष्मण बनाम श्रीमती गोमी वगैरह

आावेदन पत्र वास्ते बरामदगी अपील अन्तर्गत आदेश 41नियम 19 व धारा 151 जाप्ता दीवानी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थीगण एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण को आवेदन पत्र की प्रति दी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस आदेवन–पत्र निवेदन किया कि उक्त प्रकरण वर्ष 2018से माननीय न्यायालय में निरन्तर विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी अभिभाषक निरन्तर प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहा है, प्रार्थी अभिभाषक की कभी ऐसी मंशा नही रही कि वह न्यायालय के समक्ष प्रकरण में आवाज लगने पर उपस्थित नहीं हो। पेशी दिनांक 24.12.2021 को उनके अभिभाषक किसी कारण से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। तत्पश्चात प्रकरण को न्यायालय द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आवश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगे इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। मान्नीय राजस्व मण्डल एवं मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित अनेको सिद्धान्तो में यह स्पष्ट किया है कि प्रकरण को तकनीकी आधार पर निरस्तारित न कर पक्षकारों के हक व अधिकारो का विधि सम्मत निर्धारण हेतु गुणावगुण पर निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी आवेदन-- पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने जवाव प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि दिनांक 24.12.2021 को मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील वास्ते बहस हेतु नियत थी। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के उपस्थित नहीं होने पर अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की है। जो विधि सम्मत है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि यदि न्यायहित में बाजदायरी आवेदन–पत्र को स्वीकार किया जावे तो भारी कोस्ट पर स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत आवेदन–पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित आावेदन पत्र वास्ते बरामदगी अपील अन्तर्गत आदेश 41नियम 19 व धारा 151 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है।

अतः आावेदन पत्र वास्ते बरामदगी अपील अन्तर्गत आदेश 41नियम 19 व धारा 151 जाप्ता दीवानी को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर